[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 1/2019-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2019

सा.का.नि. ..... (अ) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, उन सभी वस्तुओं पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित खुदरा बिक्री दुकानों, आप्रवासन केन्द्रों के बाहर, द्वारा बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आपूर्त किए जाते हों, उस संपूर्ण प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्रदान करती है जो कि उन पर माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत लगाया जाता हो ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति “बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं है, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं ।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/90/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार